भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2811
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-किसान योजना के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों द्वारा निधि प्राप्त करना

2811. श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
श्री अमर शरदराव कालेः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
श्री संजय दिना पाटीलः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों द्वारा निधि प्राप्त करने के मामले सामने आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे छोटे और सीमांत किसानों की पहचान करने और उन्हें इस योजना में शामिल करने हेतु उपाय किए हैं, जो अभी तक इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं;

(ग) क्या सरकार ने छोटे और सीमान्त किसानों की वित्तीय स्थिति पर पीएम-किसान के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है और क्या इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के संकट में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा पीएम-किसान निधि संवितरण में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार लाने के लिए कोई प्रौद्योगिकीय कार्य आरंभ किया गया है अथवा करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस बात को स्वीकारती है कि कृषि आदानों की बढ़ती हुई लागत के मद्देनजर, पीएम-किसान के अंतर्गत 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता अपर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का किसानों हेतु बीमा और ऋण सुविधाओं सहित समग्र सहायता सुनिश्चित करने के लिए पीएम-किसान को किसानों की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ एकीकृत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
<u>कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)</u>

(क) से (घ) पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कृषि योग्य भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फरवरी 2019 में आरम्भ किया गया था। इस योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

(डीबीटी) मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने शुरुआत से लेकर अब तक 19 किस्तों में 3.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ वितरण किया है। किस्तवार विवरण संलग्न है।

पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर, योजना का लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से लाभार्थियों को अंतरित किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को ही जारी किए जाएं, भूमि सीडिंग, आधार आधारित भुगतान और ईकेवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। इन अनिवार्य मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले किसानों को लाभ मिलना बंद हो गया। जैसे ही ये किसान अपनी अनिवार्य आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे, उन्हें योजना का लाभ उनके देय किश्तों के साथ, यदि कोई हो, प्राप्त होगा। इसके अलावा, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आयकर दाता, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य/केंद्र सरकार, संवैधानिक पद धारक आदि जैसे उच्च आय समूहों के कारण चिह्नित अपात्र किसानों को अंतरित किसी भी राशि की वसूली करने का अधिकार है। देश भर में अब तक अपात्र लाभार्थियों से 416 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है।

पीएम-किसान के तहत निधि वितरण में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए कई तकनीकी हस्तक्षेप शुरू किए गए हैं। एक समर्पित पीएम-किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया गया, जो स्व-पंजीकरण, लाभ की स्थिति पर नज़र रखने और जून 2023 में आरंभ की गई चेहरे की पहचान आधारित ई-केवाईसी जैसी सेवाएँ प्रदान करता है। दूरदराज के क्षेत्रों में किसान चेहरे के स्कैन के ज़रिए ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं, जिसमें पड़ोसियों की सहायता करने का प्रावधान है। पंजीकरण की सुविधा और अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 5 लाख से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) शुरू किए गए हैं। 12वीं से 15वीं किस्त तक भूमि सीडिंग, आधार-आधारित भुगतान और ई-केवाईसी को क्रमिक रूप से अनिवार्य बना दिया गया। इसके अतिरिक्त, पोर्टल पर एक मज़बूत शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना की गई और एक एआई चैटबॉट, किसान-ईमित्र, को सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया जो स्थानीय भाषाओं में भुगतान, पंजीकरण और पात्रता के विषय में तुरंत प्रश्नों का समाधान प्रदान करता है।

मंत्रालय अक्सर राज्य सरकारों के साथ समन्वय में सेचुरेशन अभियान चलाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रह जाए। दिनांक 15 नवंबर, 2023 से चलाए गए प्रमुख राष्ट्रव्यापी सेचुरेशन अभियान के परिणामस्वरूप इस योजना के तहत 1.5 करोड़ से अधिक नए पात्र किसान जुड़े हैं।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) द्वारा 2019 में किये गये अध्ययन के अनुसार, पीएम-किसान के तहत संवितरित धनराशि ने ग्रामीण आर्थिक विकास में उत्प्रेरक का काम किया है, किसानों की ऋण संबंधी बाधाओं को कम करने में मदद की है और कृषि इनपुट में निवेश बढ़ाया है। इसके अलावा, इस योजना ने किसानों की जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाया है, जिससे वे

जोखिम भरे लेकिन तुलनात्मक रूप से उत्पादक निवेश करने के लिए प्रेरित हुए हैं। पीएम-किसान के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली धनराशि न केवल उनकी कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर रही है, बल्कि यह उनकी शिक्षा, चिकित्सा, विवाह आदि जैसे अन्य आकस्मिक खर्चों को भी पूरा कर रही है। ये देश के किसानों पर इस योजना के सकारात्मक प्रभाव के संकेतक हैं। पीएम-किसान वास्तव में हमारे देश के कृषक समुदाय के लिए एक गेम चेंजर रहा है।

(च) सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर किसानों के लिए व्यापक समर्थन सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। पीएम-किसान पात्र किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करता है और ऋण तक आसान पहुंच के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसीसी) जैसी अन्य योजनाओं के साथ तालमेल बनाने का प्रयास किया गया है।

अनुबंध

पीएम-किसान योजना के तहत लाभार्थियों को जारी की गई राशि का किस्त-वार विवरण

किस्त संख्या	किस्त अवधि	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ रुपये में)
1	दिसंबर, 2018 - मार्च, 2019	3,16,21,382	6,324.28
2	अप्रैल, 2019 - जुलाई, 2019	6,00,34,808	13,272.00
3	अगस्त, 2019 - नवंबर, 2019	7,65,99,962	17,526.92
4	दिसंबर, 2019 - मार्च, 2020	8,20,91,433	17,942.95
5	अप्रैल, 2020 - जुलाई, 2020	9,26,93,902	20,989.46
6	अगस्त, 2020 - नवंबर, 2020	9,72,27,173	20,476.24
7	दिसंबर, 2020 - मार्च, 2021	9,84,75,226	20,474.95
8	अप्रैल, 2021 - जुलाई, 2021	9,99,15,224	22,415.06
9	अगस्त, 2021- नवंबर, 2021	10,34,45,600	22,395.43
10	दिसंबर, 2021- मार्च, 2022	10,41,67,787	22,343.30
11	अप्रैल, 2022 - जुलाई, 2022	10,48,43,465	22,617.98
12	अगस्त, 2022 - नवंबर, 2022	8,57,37,576	18,041.35
13	दिसंबर, 2022 - मार्च, 2023	8,12,37,172	17,650.07
14	अप्रैल, 2023 - जुलाई, 2023	8,56,78,805	19,203.74
15	अगस्त, 2023 - नवंबर, 2023	8,12,16,535	19,596.74
16	दिसंबर, 2023 - मार्च, 2024	9,04,30,715	23,088.88
17	अप्रैल, 2024 - जुलाई, 2024	9,38,01,342	21,056.75
18	अगस्त, 2024 - नवंबर, 2024	9,59,26,746	20,665.51
19	दिसंबर, 2024 - मार्च, 2025	9,88,42,900	22,270.45

*****